

**CSIR-National Institute of Science Communication And Policy Research,
Dr. K.S. Krishnan Marg, New Delhi – 110012
14, Satsang Vihar Marg, New Delhi-110067**

No.2(Prop)/97-Vig.

Dated: 02.01.2024


CIRCULAR

Sub: Submission of Annual Property Return (APR) for the year 2023 (as on 31.12.2023) by Group A & B NIScPR employees – reg.

All Group A & B employees of the Institute are requested to submit their Annual Property Returns (for Immovable Property) in the prescribed proforma latest by 31.01.2024. In this connection, employees are requested to submit their property returns giving full particulars of the immovable property inherited/owned/acquired, held by them as on 31.12.2023 on lease or mortgage either in their own name or in the name of members of their family. Soft copy of the Annual Property Return proforma is also uploaded on the website. Officials can download the same and submit filled up proforma in Vigilance Section on or before stipulated date.

Further, it is informed again that DoPT OM No.11012/11/2007-Estt.A dated 27.09.2011 as endorsed by CSIR vide circular letter No.15-6(82)/98-O&M-II dated 15th January, 2013 provides that "**Vigilance clearance shall be denied to an officer if he/she fails to submit his/her annual immovable property return of the previous year by 31st January of the following year, as required under Government of India decisions under Rule 18 of the Central Civil Services (Conduct) Rule, 1964.**

Further, all concerned employees are requested that they should avoid writing "same as previous year" or "No Change", while submitting the Annual Property Return.


(Anil Kumar)
Section Officer

Copy to:

1. All the HoDs with the request to bring this to the notice of the staff of their Division/section
2. All Notice Boards
3. Hindi Unit for translation
4. PDS to Director
5. PA to AO
- ✓ 6. Head, IT with the request to upload this circular on website
7. Office copy

सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान

डॉ. के. एस. कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-110 012

14, सतसंग विहार मार्ग, नई दिल्ली-110067

सं 2(पीआरओपी) सतर्कता-92


दिनांक : 02.01.2024

परिपत्र

विषय : समूह 'क' और 'ख' वर्ग के निस्पर कर्मिकों द्वारा वर्ष (31.12.2023 तक) के लिए वार्षिक संपत्ति विवरण (एपीआर) जमा करने के संबंध में

संस्थान के सभी समूह 'क' और 'ख' कर्मिकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी वार्षिक संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण 31.12.2023 तक जमा करें। इस संबंध में कर्मिकों से अनुरोध है कि वे 31.12.2023 तक अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर पट्टे या बंधक पर विरासत में प्राप्त/स्वयं के स्वामित्व वाले अर्जित/अचल संपत्ति का पूरा विवरण देते हुए वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करें। वार्षिक संपत्ति विवरण प्रोफार्मा की सॉफ्ट प्रति वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है। कर्मिक इसे डाउनलोड कर सकते हैं और निर्धारित तिथि तक या उससे पहले सतर्कता अनुभाग में भरा हुआ प्रोफार्मा जमा कर सकते हैं।

इसके अलावा यह फिर से सूचित किया जाता है कि, डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं 110212/11/0227-Estt.A दिनांक 27.09.2011 जिसे सीएसआईआर द्वारा परिपत्र पत्र संख्या 15-6(82)/98-दिनांक 15 जनवरी 2013 समर्थित किया गया है। के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा के नियम 18 के तहत भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार, यदि कोई अधिकारी पिछले वर्ष की अपनी वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न अगले वर्ष की 31 जनवरी तक जमा करने में विफल रहता है, तो उसे सतर्कता मंजूरी देने से इनकार कर दिया जाएगा। (आचरण) नियम, 1964. इसके अलावा सभी कर्मिकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करते समय "कोई परिवर्तन नहीं" या "पिछले वर्ष के समान" जैसे वाक्यों को लिखने से बचें।


(अनिल कुमार)

अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इसे अपने विभाग/अनुभाग के कर्मिकों के संज्ञान में लाएं
2. सभी नोटिस बोर्ड
3. निदेशक के के निजी सचिव
4. प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव
5. प्रमुख, आईटी को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
6. कार्यालय प्रति